न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 28/2022 (अपील)

GCMS No. 2022/00069

अनवान

1. श्री शान्तिलाल पिता श्री रामिया गरासिया निवासी परमेर, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर ।
2. श्री रामिया पिता श्री झालाजी गरासिया निवासी परमेर, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर ।

— अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये उपतहसीलदार फलासिया, तहसील झाडोल, जिला—उदयपुर।
2. पटवारी महोदय, पटवार हल्का पानरवा, तहसील झाडोल जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री मनीष शर्मा अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता रेस्पो.

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध उपतहसीलदार फलासिया, प्र.स. 219/22 ना.क. निर्णय दिनांक 10.10.2022

* निर्णय *

दिनांक— 12-04-2023

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा परमेर तहसील झाडोल में आराजी संख्या 516/289 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि स्थित है उक्त कृषि भूमि के समीप पूर्व व पश्चिम दिशा में यानि चारो तरफ अपीलाण्ट्स की खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है उक्त भूमि अपीलाण्ट्स की भूमि के मध्य में आ जाने से उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स का बहुत पुराना आधिपत्य होकर अपीलाण्ट्स काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स द्वारा हर वर्ष की भांती मक्की व सोयाबीन की फसल बोई गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा गांव के कुछ प्रभावशाली एवं अपीलाण्ट्स से द्वेषता रखने वाले लोगो के प्रभाव में आकर एक रिपोर्ट धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.09.2022 को प्रस्तुत को प्रस्तुत की जिसमें अपीलाण्ट्स को सूचना—पत्र जारी किया गया उक्त सूचना—पत्र अपीलाण्ट को प्राप्त होते ही अपीलाण्ट्स दिनांक 10.10.2022 को जरिये अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ व उक्त प्रार्थना पत्र का विस्तृत जवाब मय दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये परन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के जवाब व दस्तावेजों को न तो देखा न पढा न उक्त जवाब व दस्तावेजों के सम्बन्ध में कोई विवेचन ही अभिलेखावली में किया व एक छपे छपाये फार्म पर एक साईक्लोस्टाईल आदेश अपीलाण्ट्स को बेदखल किये जाने का दिनांक 10.10.2022 को पारित कर दिया इस प्राकर न्याय की गरीमा के विपरित अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भारी [illegible] अपीलाण्ट्स के साथ फरमाया हैं। अधिनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे अपीलाण्ट्स के विरूद्ध आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

पारित किये जाने से पूर्व न्याय एवं प्राकृत न्याय के सिद्वान्तो का अनुसरण करते व अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों को भी पढते परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपने न्यायिक मस्तिष्ट का उपयोग किये कम्प्यूटर में छपे छपाये फार्म पर पूर्व से भरे हुए निर्णय पर छाप लगाकर निर्णय पारित कर दिया व बिना अपीलाण्ट को सूने बिना अपीलाण्ट्स के दस्तावेजो को देखे निर्णय पारित कर दिया व अपीलाण्ट्स का अवसर दिये बिना ही निर्णय के आगामी दिनांक को मौके पर खडी फसलों को निलाम किये जाने का आदेश पारित कर दिया व उसकी पालना में भारी जाप्ता पुलिस का मौके पर भेजकर अपीलाण्ट्स की खडी हुई फसल को निलाम कर दिया इस प्रकार एक गरीब व्यक्ति के विरूद्व भारी अन्याय विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा फरमाया गया है जिससे विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय किसी भी प्रकार से विधि सम्मत निर्णय नहीं होने से प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। न्याय का सिद्धान्त है कि कोई भी निर्णय पुर्ण सुनवाई का न्यायोचित समय प्रदान कराया जाना चाहिए व निर्णय की पालना भी कानूनन अपील की अवधि समाप्त होने के बाद ही की जानी चाहिए परन्तु उक्त प्रकरण में उक्त सारे ही नियमों को ताक पर रखकर अपीलाण्ट के साथ भारी अन्याय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा फरमाते हुए निर्णय पारित किया गया है व उसकी पालना करवाई है जिसे प्रथम दृष्टया निरस्त फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलाण्ट सीधे–साधे ग्रामीण आदिवासी व्यक्ति है जिनके जिविकोपार्जन का एकमात्र साधन कृषि है अपलाण्ट्स कोई आपराधिक किस्म का व्यक्ति नहीं है। अपीलाण्ट्स के विरूद्व उक्त सारी कार्यवाही कुछ तथाकथित व्यक्तियों द्वारा द्वेषता वश प्रस्तुत कराई है परनतु अधिनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह न्याय की गरीमा के अन्तर्गत अपीलाण्ट्स का पक्ष सुनकर निर्णय करते परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय की गरीमा के विपरित जो निर्णय पारित किया गया है वह न्यायोचित नहीं होने से प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना है कि प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ उपतहसीलदार द्वारा पारित निर्णय एव विधि के विपरित होने से निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता कल्पित जैन उपस्थित होकर प्रकरण में बहस करना चाहा। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब की गई। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा नजीर RRT 2014(2) page 940 पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि मेरे खातेदारी भूमि के बिच में स्थित है, अन्य प्रभावशाली लोगो के प्रभाव में आकर कार्यवाही की गई है, साईक्लोस्टाईल में आर्डर दिया गया है, अपील के समय से पूर्व ही पालना कर दी गई है। अतः प्रकरण को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया कि अपीलाण्ट अतिक्रमी होने से नियमानुसार बेदखल करने का आदेश दिया गया है जो सही है अतः अपील को खारिज किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरो पर बगौर मनन किया। मूल प्रकरण

के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट मौजा परमेर की आराजी नम्बर 516/289 रकबा 0.1000 हे. पर अपीलाण्ट्स का कब्जा होने से अधिनस्थ न्यायालय उपतहीसलदार फलासीया द्वारा धारा 91 प्रकरण संख्या 219/2022 निर्णय दिनांक 10.10.2022 को पारित कर अपीलाण्ट्स को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है जिससे रूष्ठ होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अपीलाण्ट के अतिक्रमण के विरूद्ध पटवारी हल्का पानरवा द्वारा दिनांक 14.09.2022 को धारा 91 की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की गई जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सख्या 219/2022 दर्ज कर अपीलाण्ट्स को नियमानुसार नोटिस जारी सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 10.10.2022 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय की पालना दिनांक 14.10.2022 को की जाकर अपीलाण्टस को बेदखल करते हुए खडी फसल भी निलाम की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय पर विचार करने का अब कोई औचित्य नहीं है। चूंकि अपीलाण्ट्स जिस निर्णय के विरूद्व अपील की है उसकी पालना की जा चुकी है। अपीलाण्ट स्वंय एक अतिक्रमी है जिस तथ्य को अपीलाण्ट ने स्वंय ही स्वीकार किया है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह अपीलाण्ट को पुर्ण सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार पूर्ण प्रकिया का पालन करते हुए पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत नजीर के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने पर इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार फलासिया जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 219/2022 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2022 को यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested